16-8-2021

गैरसायल वालाराम पुत्र नवाराम, जाति– हीरागर, निवासी– झूपाघाट, सिरोही को पुलिस थाना, सिरोही द्वारा गिरफतार कर आज हमारे समक्ष पेश करने पर पत्रावली आज पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल वालाराम पुलिस अभिरक्षा में उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान भाटी ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का

......लगातार

प्रति. जिला अभिभाषक
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:46:30 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 03/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस[illegible]म कीतामिल में जारी हुए

अनुरोध किया। जिस पर बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसालय को सिरोही जिले से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल ने गैरसायल के विरुद्ध दर्ज धारा 13 आरपीजीओं के मुकदमों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करने के कारण गैरसायल को न्यायालय ने दोष सिद्ध ठहराया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज दोनों मुकदमें वर्ष 2019 के है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 20.8.2019 के बाद किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। गैरसायल ने कभी शांतिभंग नही की है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है जो प्राईवेट नौकरी कर अपना गुजारा कर रहा है। गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल वालाराम के विरुद्ध पुलिस थाना, सिरोही में धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत अपराध संख्या 193 दिनांक 25.7.2019 व अपराध संख्या 222 दिनांक 20.8.2019 को दर्ज हुआ। उक्त दोनों मुकदमों में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये। उक्त दोनों अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 193 दिनांक 25.7.2019 व अपराध संख्या 222 दिनांक 20.8.2019 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2019 व 30.10.2019 के अनुसार गैरसायल वालाराम को संबंधित न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्ड़ा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल वालाराम पुत्र नवाराम, जाति– हीरागर, निवासी– झूपाघाट, सिरोही, पुलिस थाना, सिरोही, जिला– सिरोही को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 15 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, सिरोही से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुम[illegible] सिरोही की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस नि[illegible]सन [illegible]धि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक [illegible] किसी प्रकार के आपराधिक कृत[illegible] अतिरिक्त, गैरसायल इस

..........लगातार

न्यायालय प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रांत. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:46:30 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 03/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। आदेश दिये जाते है कि यदि गैरसायल की किसी अन्य मुकदमें में आवश्यकता नही हो तो पुलिस अभिरक्षा से रिहा किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, सिरोही को पालनार्थ प्रेषित की जावे। (के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:46:30 IST
Reason: SelfAttested